राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-447/बीएड/2001/1677 दिनांक : 17-7-01

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

पण्डित सुजान सिंह डिग्री कॉलेज, सूरज कुण्ड रोड, मेरठ-250001, उत्तर प्रदेश को उत्तर क्षेत्रीय समिति के निर्णयानुसार समिति कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-3/यूपी-447/बीएड/2000/5970-5977 दिनांक 9.8.2000 के द्वारा सत्र 2000-2001 में 60 सीटों की मान्यता प्रदान की गई थी। परिषद् मानदंडों की जाँच हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (1) के तहत संस्था का दिनांक 16.4.2001 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज आदि उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 10-11 मई, 2001 को सम्पन्न हुई 34 वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। उत्तर क्षेत्रीय समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर पाया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडानुसार निम्नांकित कमियाँ हैं तथा समिति ने निर्णय लिया कि संस्था को इन कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत दिनांक 20.6.2001 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर दिया जाए।

1. संस्था में कार्यरत प्राचार्य को अध्यापन अनुभव की कमी है। अतः यूजीसी मानदंडानुसार 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव वाले प्राचार्य की कमी है।
2. व्याख्याता/रीडर पद पर दो व्याख्याता 5 वर्ष के अनुभव के साथ नेट/स्लेट योग्यता के होने की कमी है।
3. व्याख्याताओं के 3 पदों में से दो व्याख्याता नेट/स्लेट योग्यताधारी होने की कमी है।
4. विधिवत चयन समिति के गठन एवं उसके द्वारा प्राचार्य एवं व्याख्याताओं के चयन होने की कमी है।
5. कार्यानुभव अनुदेशक एक, कला संगीत अनुदेशक एक की कमी है।
6. लगभग 1,000 पुस्तकें ही संस्था में उपलब्ध हैं अतः 2,000 पुस्तकें एवं तीन शैक्षिक जरनल की कमी है।
7. अध्यापकों को यूजीसी/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के वेतनमान देने की कमी है।
8. कॉलेज किराए के भवन में चल रहा है तथा इसमें शैक्षिक वातावरण का अभाव है। अतः संस्था के पास भूमि के वैधानिक दस्तावेज होने की कमी है तथा संस्था का स्वयं का भवन होने की कमी है।
9. संस्था में आय-व्यय का विवरण सही प्रकार संधारित होने की कमी है। अध्यापकों को देय वेतन का विवरण भी उपलब्ध कराने की कमी है।
10. अक्षय निधि में 1.60 लाख रुपये की कमी है।

समिति द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-447/2001/930 दिनांक 21.5.2001 लिखा गया था जिसका उत्तर संस्था ने अपने पत्र दिनांक 11.6.2001 के द्वारा दिया।

संस्था से प्राप्त उत्तर एवं संस्था की मूल पत्रावली, मूल्यांकन प्रतिवेदन, संस्था को प्रेषित पत्र, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 05.07.2001 को सम्पन्न हुई 36 वीं बैठक में रखे गए। समिति ने प्रकरण पर गहराई से विचार कर निर्णय लिया कि **पण्डित सुजान सिंह डिग्री कॉलेज, सूरज कुण्ड रोड, मेरठ-250001, उत्तर प्रदेश** के बीएड पाठ्यक्रम को प्रदत्त मान्यता को निम्नांकित कमियों के कारण सत्र 2001-2002 से अस्वीकार कर दिया जाए।

1. प्राचार्य के लिए निरीक्षण के समय संस्था ने अनुभव की जानकारी नहीं देने तथा वर्तमान में योग्यता का उल्लेख न करने तथा प्रमाण न देने से योग्यताधारी प्राचार्य उपलब्ध होने की कमी है।
2. संस्था द्वारा कार्यरत स्टॉफ के योग्यता एवं अनुभव के प्रमाण न देने के कारण व्याख्याता/रीडर पद पर दो व्याख्याता 5 वर्ष के अनुभव के साथ नेट/स्लेट योग्यताधारी होने की कमी यथावत है।
3. संस्था द्वारा व्याख्याताओं द्वारा धारित योग्यताएं एवं उनके प्रमाण न देने के कारण 3 व्याख्याताओं की योग्यता यूजीसी मानदंडानुसार होने की पुष्टि की कमी है। अतः व्याख्याता परिषद् मानदंडानुसार योग्यताधारी होने की कमी है।
4. कला संगीत अनुदेशक एक की कमी है।
5. संस्था ने 3254 पुस्तकें उपलब्ध बताई हैं जबकि निरीक्षण प्रतिवेदन में 1,000 पुस्तकें के करीब ही उपलब्ध होने की बात कही गई है उसकी पुष्टि की कमी है।

C:\My Documents\Bansal.doc\C:\My Documents\Bansal.doc/Subhash Chand/

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर-302004
कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Phone फोन : 0141-623501 Fax फैक्स : 91-141-620116
Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
E-Mail : ncte@raj.nic.in Website : http://www.ncte-in.org